"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]　　　　रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 जनवरी 2017— माघ 8, शक 1938

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-27/खाद्य/2008/29-1. — आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 सहपठित भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 क्रमांक सा.का.नि. 2013 (अ), दिनांक 20 मार्च, 2015 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) के अनुसरण में तथा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 को अधिक्रमित करते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तु जैसे खाद्य, अनाज, इत्यादि की आपूर्ति, वितरण एवं सुरक्षित उपलब्धता के अनुरक्षण हेतु निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

आदेश

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.-** (1) यह आदेश छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 कहलायेगा.
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
   (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं.-** (1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
   (क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10);
   (ख) **"अपीलीय प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है आदेश के खण्ड 18 के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(ग) **"प्राधिकृत अभिकरण"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा उसमें इसके अधिकारी, कर्मचारी, परिवहनकर्ता तथा उनके द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अधीन भारतीय खाद्य निगम, विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न योजना के अंतर्गत उपार्जित स्टॉक अथवा निविदा के माध्यम से खाद्यान्न, शक्कर, नमक, चना एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का क्रय करने तथा राज्य सरकार के वितरण केन्द्र तक एवं तत्पश्चात् उचित मूल्य की दुकान तक परिवहन करने में लगे हुये हैं तथा नीले केरोसिन की दशा में इससे अभिप्रेत है, तेल कंपनियाँ, थोक व्यापारी तथा उनके प्राधिकृत परिवहनकर्ता और जिसमें उनके कर्मचारी अथवा व्यक्ति, जो ऑयल कंपनी के डिपो से उचित मूल्य की दुकान तक केरोसिन के परिवहन कार्य में लगे हुए हैं;

(घ) **"केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम"** से अभिप्रेत है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20);

(ड.) **"केन्द्रीय सरकार"** से अभिप्रेत है भारत सरकार;

(च) **"केन्द्रीय आदेश"** से अभिप्रेत है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015;

(छ) **"कलेक्टर"** से अभिप्रेत है जिले का कलेक्टर एवं इसमें सम्मिलित है, ऐसे कोई अन्य अधिकारी, जो राज्य शासन द्वारा इस आदेश के अन्तर्गत कलेक्टर के समस्त या किसी कार्य को संपादित करने के लिए प्राधिकृत किये गये हों;

(ज) **"संचालक"** से अभिप्रेत है संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, छत्तीसगढ़ शासन;

(झ) **"व्यपवर्तन"** से अभिप्रेत है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्राधिकृत अभिकरण के गोदाम से आवश्यक वस्तुओं का विहित

हितग्राहियों से भिन्न व्यक्तियों अथवा स्थानों को अनाधिकृत वितरण अथवा परिवहन;

(ञ) **"उचित मूल्य की दुकान"** से अभिप्रेत है ऐसी दुकान, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनकार्डधारियों तथा क्रमशः केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त अभिकरणों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिये इस आदेश के अधीन प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो;

(ट) **'परिवार"** से अभिप्रेत है पति, पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे;

(ठ) **"खाद्य सुरक्षा भत्ता"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) की धारा 8 के अधीन हकदार व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संदत्त की जाने वाली धनराशि;

(ड) **"सार्वजनिक वितरण प्रणाली"** से अभिप्रेत है उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हांकित राशनकार्डधारियों एवं अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत उठाव हेतु अन्य विनिर्दिष्ट संस्थाओं को आवश्यक वस्तुएं, जैसे कि चावल, गेहूं, शक्कर, नीला मिट्टी तेल, नमक, चना तथा ऐसी अन्य वस्तुएं, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम,. 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 2 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित है, के वितरण की प्रणाली;

(ढ) **"राशनकार्ड"** से अभिप्रेत है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकानों से आवश्यक वस्तुओं के क्रय हेतु राज्य सरकार द्वारा एक आदेश या प्राधिकार के अधीन जारी किया गया एक दस्तावेज, जिसमें सम्मिलित हैं,–

(एक) केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र प्राथमिकता वाले परिवार को जारी राशनकार्ड;

(दो) अंत्योदय परिवार (राज्य सरकार द्वारा चिन्हित विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूह के परिवार) को जारी राशनकार्ड;

(तीन) अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत निराश्रित व्यक्तियों को जारी राशनकार्ड;

(चार) ऐसे अन्य राशनकार्ड, जो केन्द्र या राज्य शासन की किसी योजना के विशेष लाभ हेतु जारी किये जाये;

(ण) **''राशन सामग्री''** से अभिप्रेत है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूँ, चावल, शक्कर, नमक, चना एवं नीला केरोसिन तेल एवं केन्द्र या राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत समय–समय पर सम्मिलित की गई कोई अन्य वस्तुएं;

(त) **''राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013);

(थ) **''राज्य शासन''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन।

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जैसा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20), छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013), आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं।

3. **पात्र परिवारों की पहचान.**— राशन कार्ड हेतु पात्र परिवारों की पहचान, राज्य सरकार द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

4. **राशन कार्ड.**— (1) छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम, 2016 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी किये जायेंगे।

(2) राज्य शासन द्वारा फर्जी राशन कार्ड को विलोपित किये जाने की नियमित कार्यवाही की जायेगी।

(3) राशन कार्ड, जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।

(4) कोई भी व्यक्ति,—

(क) राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं करेगा या उसे प्राप्त नहीं करेगा, यदि उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से राशन कार्ड पहले से ही जारी है;

(ख) राशन कार्ड के लिए आवेदन देते समय गलत विवरण या जानकारी नहीं देगा;

(ग) राशन कार्ड की प्रविष्टियों में से किसी प्रविष्टि को जानबूझकर परिवर्तित, नष्ट या विकृत किये जाने का कार्य नही करेगा अथवा इसके लिए अनुज्ञा नहीं देगा ।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) में विहित समय—सीमा संबंधी उपबंधों के अनुपालन हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) सामान्यतः राशन कार्ड इसके जारी किये जाने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। 05 वर्ष के अवसान पर, राशन कार्ड, छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार नवीनीकृत किया जायेगा अथवा नवीन राशन कार्ड जारी किया जायेगा।

(7) राशन कार्ड में, कार्डधारक तथा उसके परिवार के सदस्यों के नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, आयु और पता स्पष्ट रूप से अंकित रहेगा।

(8) राशन कार्ड, परिवार की वयस्क महिला सदस्य के नाम से जारी किया जायेगा। वयस्क महिला न होने की स्थिति में, परिवार के सबसे वरिष्ठ पुरूष सदस्य को मुखिया माना जायेगा तथा उसके नाम से राशन कार्ड जारी किया जायेगा:

परन्तु यह कि जब महिला सदस्य 18 वर्ष की आयु पूर्ण करे, तब राशन कार्ड में परिवार के मुखिया के रूप में महिला सदस्य का नाम प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(9) जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा नवीन राशन कार्ड जारी किये जाने हेतु कोई शुल्क, प्रभारित अथवा वसूल नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह कि राज्य शासन के विभिन्न सेवा केन्द्रों जैसे–च्वाईस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र आदि में सेवा प्रदाय हेतु निर्धारित शुल्क देय होगा।

(10) राशन कार्ड मात्र ऐसे व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति की ओर से, जिसको यह जारी किया गया है, उपयोग किया जा सकेगा तथा यह अन्य किसी वैधानिक प्रयोजन के लिए या किसी व्यक्ति की पहचान के लिए उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

(11) जारी राशन कार्ड, किसी व्यक्ति को अन्तरणीय नहीं होगा।

(12) इस आदेश के अधीन जारी प्रत्येक राशन कार्ड, शासन की सम्पत्ति मानी जायेगी, किन्तु व्यक्ति, जिसको राशन कार्ड जारी किया गया, रखा गया या समर्पित किया गया हो, वह इसकी अभिरक्षा के लिये जिम्मेदार होगा।

(13) राशन कार्ड के विकृत हो जाने, गुम हो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में, प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जाँच के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, 10/– रूपये प्रति कार्ड के भुगतान पर राशन कार्ड की छायाप्रति जारी करेगा:

परन्तु यह कि राज्य शासन के विभिन्न सेवा केन्द्रों, जैसे च्वाईस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र आदि में सेवा प्रदाय के लिये विहित शुल्क देय होगा।

(14) ऐसी दशा में, जब गुम हुए राशन कार्ड के स्थान पर नया राशन कार्ड जारी कर दिया गया हो एवं बाद में पुराना राशन कार्ड मिल जाये, तब कार्डधारी तत्काल उस अधिकारी को, जिसके द्वारा यह जारी किया गया है, गुम हुए राशन कार्ड को वापस करेगा।

(15) जब कोई राशन कार्ड किसी व्यक्ति के आधिपत्य में है, और ऐसा आधिपत्य, इस आदेश के द्वारा या इसके अन्तर्गत प्राधिकृत नहीं है, तब वह तत्काल ऐसे राशन कार्ड को संबंधित तहसीलदार या स्थानीय निकायों को सौंप देगा।

(16) आवश्यक वस्तुओं के व्यपवर्तन की जांच के क्रम में, कलेक्टर फर्जी राशन कार्ड एवं फर्जी राशन कार्ड इकाईयों को समाप्त करने के लिये नियमित प्रक्रिया चलायेगा।

5. **उठाव, भण्डारण, परिवहन तथा वितरण.**— (1) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्राप्त होने वाले किसी आबंटन को किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित नहीं किया जायेगा।

(2) संचालक, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, केन्द्र शासन से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन आबंटन प्राप्त होने अथवा प्राप्त होने की प्रत्याशा में, आगामी माह के लिये चालू माह की 10 तारीख को राज्य में संचालित सभी उचित मूल्य की दुकानों पर वेबबेस्ड ऑनलाईन आबंटन जारी करेगा। अन्य शासकीय योजनाओं के लिये संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाईन आबंटन जारी किया जायेगा।

(3) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), निर्धारित राशि के साथ मांग की प्राप्ति पर, दो सप्ताह की कालावधि के भीतर विहित मात्रा एवं गुणवत्ता के अनुसार गेहूँ उपलब्ध करायेगा। शेष राशन सामग्रियाँ, उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति के लिये विहित मात्रा एवं गुणवत्ता के अनुसार प्राधिकृत अभिकरण द्वारा

विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना के अधीन उपार्जित स्टॉक अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त की जायेंगी।

(4) उचित मूल्य की दुकानों के लिये राशन सामग्रियों के प्रतिमाह ऑनलाईन आबंटन जारी होने पर, खाद्य निरीक्षक संबंधित उचित मूल्य की दुकान, ग्राम पंचायत एवं स्थानीय निकाय को आबंटन के विषय में जानकारी देगा। संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों से संलग्न राशन कार्डधारियों एवं उनकी पात्रताओं की सूची का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) पूर्ववर्ती माह का अतिशेष स्टॉक, उचित मूल्य की दुकानों के लिये राशन सामग्रियों की आपूर्ति के क्रम में घोषणा पत्र में अभिलिखित किया जायेगा।

(6) कलेक्टर, प्राधिकृत अभिकरण के जिला प्रबंधक, खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी एवं प्राधिकृत एजेंसी के परिवहनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि एक माह में वितरण के लिये संपूर्ण सामग्रियाँ, आवंटित माह के प्रथम दिवस को उचित मूल्य की दुकानों पर संग्रहित की जायेंगी ।

(7) भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न उठाव करने की स्थिति में, राशि भुगतान के पूर्व प्राधिकृत अभिकरण एवं भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधिगण, जारी किये जाने के लिये प्रस्तावित स्टॉक का संयुक्त निरीक्षण करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि जारी होने वाला स्टॉक विहित गुणवत्ता के अनुसार है। इसी प्रकार, प्राधिकृत अभिकरण केन्द्र, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि एवं कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किये जाने वाले खाद्यान्नों का उनके प्रदाय केन्द्रों में संयुक्त निरीक्षण करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि वितरण किया जाने वाला खाद्यान्न विहित गुणवत्ता का है।

(8) भारतीय खाद्य निगम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आपूर्ति के लिये स्टॉक के बाहर के खाद्यान्नों का छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को स्टॉक–वाईस सील्ड नमूने उपलब्ध करायेगा । तत्पश्चात्,

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड उनके परिवहनकर्ताओं के माध्यम से खाद्यान्नों के स्टॉक से उचित मूल्य की दुकानों में प्रदर्शित किये जाने के लिये प्रत्येक माह खाद्यान्न के सील किये गये नमूने की आपूर्ति करेगा।

(9) प्राधिकृत अभिकरण एवं कलेक्टर उचित व्यवस्था करेंगे कि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा उठाव की जाने वाली राशन सामग्रियों की संपूर्ण मात्रा का गोदामों में भंडारण करायें तथा उचित मूल्य की दुकानों में उसका समय पर पहुँचाया जाना सुनिश्चित करें।

(10) कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, प्राधिकृत अभिकरण के जिला प्रबंधक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन सामग्रियों की संपूर्ण मात्रा के परिवहन के लिये प्राधिकृत संस्थायें यह सुनिश्चित करेंगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्राधिकृत अभिकरण के प्रदाय केन्द्रों से आपूर्ति के पश्चात् राशन सामग्रियों की अतिशेष मात्रा परिवहन, भण्डारण अथवा अन्य किसी बिन्दु पर कम गुणवत्ता की वस्तुओं से बदली न जायें।

(11) संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, निरीक्षण के लिए प्रक्रिया तथा विक्रय रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर एवं राशनकार्ड रजिस्टर के प्रारूप का निर्णय करेगा ।

(12) राशन कार्ड धारक, उचित मूल्य की दुकानों से अपनी पात्रता के अनुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकेगा। राशन कार्ड धारक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह अपने हक की सामग्री का एक ही बार में उठाव करे, किन्तु वह अपनी सुविधानुसार किश्तों में ले सकेगा।

(13) राशन कार्डधारी, उचित मूल्य की दुकान से अपनी पात्रता के अनुसार राशन सामग्री उसी माह में प्राप्त कर सकेंगे, जिस माह के लिये आबंटित किया गया है।

(14) राशन कार्ड की विभिन्न श्रेणियों के अधीन वितरित की जाने वाली राशन सामग्रियों के मानदण्ड और उपभोक्ता दर, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेंगी।

(15) संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आगामी माह के लिये माह की 10 तारीख तक उचित मूल्य की दुकानवार एवं जिलेवार राशन सामग्री का आबंटन जारी करेगा तथा प्राधिकृत अभिकरण को राशन सामग्रियों के उठाव एवं भण्डारण हेतु सूचित करेगा।

(16) सभी प्राधिकृत अभिकरण अथवा इसके अनुबंधित परिवहनकर्ता, आबंटन माह के प्रथम दिवस में डोर स्टेप–डिलीवरी सिस्टम द्वारा उचित मूल्य की दुकानों का डोर स्टेप–वार राशन सामग्रियों की आपूर्ति की जायेगी ।

(17) विगत माह के दौरान वितरित राशन सामग्रियों, अतिशेष स्टॉक के घोषणा प्रपत्र के साथ डिमांड ड्राफ्ट/राशि प्राप्त होने पर, संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक द्वारा वेबसाईट में इसकी डाटाएण्ट्री के बाद प्राधिकृत अभिकरण के प्रदाय केन्द्रों में घोषणा प्रपत्र जमा किया जायेगा।

(18) घोषणा प्रपत्र एवं राशि प्राप्त होने पर, प्राधिकृत अभिकरण, आगामी माह हेतु अपेक्षित राशन सामग्रियों के भंडारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(19) छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, उचित मूल्य की दुकानों को राशन सामग्रियों की आपूर्ति हेतु वेबबेस्ड आवेदन के माध्यम से ऑनलाईन डिलीवरी आर्डर एवं ट्रक चालान जारी करेगा।

(20) छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, उचित मूल्य की दुकानों को एक माह के लिये अपेक्षित राशन सामग्रियों की आपूर्ति, संचालक द्वारा जारी आबंटन के अनुसार केडिट आधार पर करेगा।

(21) प्राधिकृत अभिकरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण के लिये अपेक्षित राशन सामग्रियों को अपने प्रदाय केन्द्रों से लेगा तथा उसे सीधे उचित मूल्य की दुकानों में संग्रहित करेगा।

(22) परिवहनकर्ता, खाद्यान्न की आपूर्ति, उसे तौलने के पश्चात् उचित मूल्य की दुकान स्तर पर करेगा। परिवहन के दौरान खाद्यान्नों की मात्रा में कमी आने की दशा में, प्राधिकृत अभिकरण, मात्रा की कमी की तत्काल आपूर्ति, उचित मूल्य की दुकान को करेगा।

(23) संचालक द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार उचित मूल्य की दुकान में राशन सामग्रियों के भंडारण के दो दिवस के भीतर परिवहनकर्ता, इसका पंचनामा प्राधिकृत अभिकरण के प्रदाय केन्द्र में जमा करेगा।

(24) उचित मूल्य का दुकानदार, राशन कार्ड धारकों को राशन सामग्री, राज्य शासन या संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अवधारित मात्रा तथा प्रक्रिया के अनुसार वितरण करेगा।

(25) उचित मूल्य का दुकानदार, विहित गुणवत्ता से कम गुणवत्ता की राशन सामग्री का वितरण नहीं करेगा।

(26) उचित मूल्य का दुकानदार, राशन कार्ड में दर्ज परिवार के मुखिया या सदस्यों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को आवश्यक वस्तुयें वितरित नहीं करेगाः

परन्तु यदि कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित कोई राशन कार्ड धारक या उसके सदस्य 60 वर्ष से अधिक आयु के या निःशक्त है, तो उनकी पात्रता का खाद्यान्न राशन कार्ड धारक द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति को दिया जा सकेगा।

(27) उचित मूल्य का दुकानदार, राशन कार्ड धारक का राशन कार्ड या उसके द्वारा विक्रय की गई राशन सामग्री को उचित मूल्य दुकान परिसर में नहीं रखेगा।

(28) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशन सामग्री के आबंटन, भंडारण, परिवहन एवं वितरण के कम्प्यूटरीकरण हेतु संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आदेश/निर्देश जारी करेगा।

6. **तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति.**– (1) राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति,–

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किसी आवश्यक सामग्री के विक्रय या वितरण के लिये विक्रय, वितरण या भंडारण हेतु प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने के लिये विश्वास किये गये किसी स्थान या परिसर, वाहन या जलयान में प्रवेश कर सकेगा, ऐसे किसी परिसर का निरीक्षण कर सकेगा या उसे तोड़कर खोल सकेगा तथा उसकी तलाशी ले सकेगा जहां ऐसे प्राधिकारियों को यह विश्वास करने के कारण है कि इस आदेश के उपबंधों का या किसी भी अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया गया है या किया जायेगा।

(ख) किसी आवश्यक सामग्री का क्रय, विक्रय, वितरण या भण्डारण से संबंधित कोई व्यक्ति से कोई कथन देने या कोई जानकारी देने के लिये या उसके कब्जे या नियंत्रण के किसी दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकेगा और इस प्रकार अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति, ऐसी अध्यपेक्षा का पालन करेगा।

(ग) किसी आवश्यक सामग्री का क्रय, विक्रय, वितरण या भण्डारण से संबंधित कोई दस्तावेज, जो कि खण्ड (ख) के अधीन प्रस्तुत करना अपेक्षित है या ऐसे किसी परिसर में अन्यथा पाया जाता है उसका संक्षिप्त या प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेगा या प्राप्त करने हेतु कार्यवाही कर सकेगा।

(घ) ऐसे किसी परिसर में पाये गये किसी या सभी आवश्यक सामग्री का वजन कर सकेगा या करा सकेगाः

परन्तु यह कि किसी परिसर में प्रवेश और जांच करते समय, परिसर में कब्जा रखने वाले व्यक्ति के सामाजिक और धार्मिक रीति–रिवाजों एवं प्रथाओं का सम्यक् आदर किया जायेगा।

(ङ) ऐसे लेखा बहियों या आवश्यक सामग्रियों के स्टॉक की तलाशी भी ले सकेगा, अभिग्रहण कर सकेगा या उनको हटा सकेगा, जहां प्राधिकारी के पास यह

विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में उपयोग किया गया है या उपयोग किया जायेगा।

(2) इस आदेश के अधीन आवश्यक सामग्रियों के भण्डारण, वितरण, परिवहन आदि का निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) **राज्य स्तर—** संचालक /अपर संचालक /संयुक्त संचालक /उप संचालक/सहायक संचालक तथा खाद्य निरीक्षक (संचालनालय) — संपूर्ण राज्य में;

(ख) **जिला स्तर—** (एक) कलेक्टर/अपर कलेक्टर /सहायक कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर /डिप्टी कलेक्टर/खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी/ सहायक खाद्य अधिकारी/खाद्य निरीक्षक — संपूर्ण जिले में;

(दो) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) — संबंधित अनुविभाग में;

(तीन) तहसीलदार/नायब तहसीलदार — संबंधित क्षेत्र में;

(चार) सहकारिता विभाग के अधिकारी, जो सहकारिता निरीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो— संबंधित क्षेत्र में;

(पांच) पुलिस विभाग के अधिकारी, जो उपनिरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो — संबंधित क्षेत्र में।

7. **निगरानी, पर्यवेक्षण एवं पारदर्शिता.—** (1) संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा उचित मूल्य की दुकान का निर्धारित कालावधि में कम से कम एक बार नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करेगा। संचालक भी आदेश जारी करेगा, जिसमें निरीक्षण अनुसूची, जांच बिन्दु की सूची तथा उक्त निरीक्षण आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी का उल्लेख होगा।

(2) केन्द्रीय आदेश, केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों के कियान्वयन एवं निगरानी के लिये राज्य शासन द्वारा

राज्य, जिला, विकासखण्ड एवं उचित मूल्य की दुकान स्तर पर सतर्कता समिति स्थापित की जायेगी।

(3) सतर्कता समिति की बैठकें, प्रत्येक स्तर पर तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।

(4) राज्य शासन, केन्द्रीय आदेश के परिशिष्ट–छः में उपबंधित प्रारूप में सतर्कता समिति के कृत्यों की वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्र शासन को प्रेषित करेगा।

(5) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सामाजिक अंकेक्षण, राज्य शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित किया जायेगा।

(6) उचित मूल्य की दुकान को संचालित करने वाली अभिकरण, माह में हुए वास्तविक वितरण तथा अतिशेष स्टॉक से संबंधित जानकारी, एक घोषणा पत्र के माध्यम से, क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक को कलेक्टर द्वारा विहित समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(7) राज्य शासन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशन कार्ड धारक को उनके अधिकारों एवं लाभों से संबंधित जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से दिये जाने हेतु, निर्देश जारी करेगा।

(8) राज्य सरकार, सिटीजन चार्टर/छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) में विभाग की योजनाओं से संबंधित अधिसूचना जारी करना सुनिश्चित करेगी।

(9) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जानकारी जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने हेतु जनभागीदारी वेबसाईट संचालित करेगा।

(10) उचित मूल्य दुकानों में प्रतिमाह राज्य शासन द्वारा नियत तिथि पर ''चावल उत्सव'' का आयोजन किया जायेगा तथा जन सामान्य की उपस्थिति में राशन सामग्री का वितरण किया जायेगा।

(11) राज्य सरकार, प्राप्त शिकायतों/सुझावों को दर्ज करने एवं त्वरित निराकरण हेतु आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली एवं टोल फ्री हेल्पलाईन भी संचालित करेगी।

(12) छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र परिवार को पात्रतानुसार खाद्यान्न के वितरण के संबंध में प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निराकरण, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

8. **उचित मूल्य की दुकानों की संख्या एवं स्थिति.—** उचित मूल्य की दुकानों की संख्या तथा स्थिति, जिला कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी, तथा वह निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:—

(क) सामान्यतः नगरीय क्षेत्र में 500 राशन कार्ड वाले क्षेत्र के लिये एक उचित मूल्य की दुकान होगी। दुकानें उन क्षेत्रों में स्थापित की जायेंगी, जहाँ हितग्राहियों के लिये खाद्यान्न प्राप्त करना सुविधाजनक हो।

(ख) दुकानों की संख्या तथा स्थिति ऐसे अवधारित की जाये, जिससे हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 3 किलोमीटर से अधिक नहीं चलना पड़े।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः, ग्राम पंचायत को इकाई के रूप में विचार करते हुए, उचित मूल्य की दुकान आबंटित की जायेगी।

(घ) सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानें, यथासंभव शासकीय भवनों में स्थापित की जायें। शहरी क्षेत्रों में, आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने वाले भवनों में उचित मूल्य की दुकानें संचालित न की जायें। उचित मूल्य की दुकान का आकार, एक माह के लिए आबंटित स्टॉक हेतु पर्याप्त होना चाहिये।

9. **उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन.**– (1) इस आदेश के उपबंधों के अधीन वृहदाकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (लेम्पस), प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व–सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों एवं स्थानीय नगरीय निकायों को उचित मूल्य की दुकानें आबंटित की जायेंगी।

(2) उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन, जिला मुख्यालय में कलेक्टर के अनुमोदन पर खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी द्वारा एवं जिले के शेष क्षेत्रों में, कलेक्टर के अनुमोदन पर अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(3) उन स्थलों में, जहाँ एक से अधिक प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ विद्यमान हों, वहाँ उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी समिति की अनुशंसा के अनुसार आबंटन के लिए चयन किया जायेगा।

(4) सामान्यतः किसी भी अभिकरण को उसके क्षेत्र में, केवल एक उचित मूल्य की दुकान आबंटित की जा सकेगी, किन्तु राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की नियमित वितरण सुनिश्चित करने हेतु, दुकान आबंटन प्राधिकारी, विधिमान्य कारण दर्शाते हुए एक से अधिक दुकान आबंटित कर सकेगा, किन्तु किसी भी परिस्थिति में, इस प्रकार आबंटित दुकानों की संख्या तीन उचित मूल्य की दुकानों से अधिक नहीं होगी।

(5) उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जायेगा। वे संस्थायें, जो उचित मूल्य की दुकानों के संचालन हेतु इच्छुक हैं, विहित "प्रारूप" में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(6) एकीकृत जनजाति विकास परियोजना क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन.– प्राधिकृत अधिकारी, उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन निम्नलिखित अभिकरणों को करेगा, अर्थात्:–

(एक) वृहदाकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समिति (लेम्पस);

(दो) ग्राम पंचायत/स्थानीय नगरीय निकाय;

(तीन) महिला स्व–सहायता समूह;

(चार) वन सुरक्षा समितियाँ;

(पांच) अन्य सहकारी समितियाँ;

(छः) राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम।

(7) अन्य क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों का आबंटनः– प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन निम्नलिखित को करेगा, अर्थात्:–

(एक) ग्राम पंचायत/स्थानीय नगरीय निकाय;

(दो) महिला स्व–सहायता समूह;

(तीन) प्राथमिक कृषि साख समितियाँ;

(चार) अन्य सहकारी समितियाँ;

(पांच) राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम;

(छः) वन सुरक्षा समितियाँ।

(8) अन्य सहकारी समितियाँ, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) अथवा छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र.2 सन् 2000) के अधीन पंजीकृत होंगे। अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों की लेखाओं का अंकेक्षण सहकारिता विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(9) उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन, ऐसे अन्य सहकारी समितियों एवं महिला स्व–सहायता समूहों को किया जायेगा, जो आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख के कम से कम 3 वर्ष पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत हों तथा जिसे सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो।

(10) ग्राम पंचायतों को आबंटित उचित मूल्य की दुकानों का संचालन ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा ग्राम पंचायत उचित मूल्य की दुकान को

संचालित करने के लिए किसी निजी व्यक्ति को प्राधिकृत नहीं करेगा। ग्राम पंचायतों को आबंटित उचित मूल्य की दुकानों का संचालन, ग्राम सभा द्वारा नामांकित एक समिति, जिसमें सरपंच, पंचायत सचिव, एक पंच, एक पूर्विकता राशन कार्डधारी तथा एक अन्त्योदय राशन कार्डधारी सम्मिलित होंगे, के द्वारा किया जायेगा। इसमें से कम से कम दो महिला सदस्य होने चाहिये। ग्राम पंचायत द्वारा संचालित की जाने वाली उचित मूल्य की दुकानों के सेल्समेन के रूप में किसी स्थानीय शिक्षित एवं बेरोजगार व्यक्ति को ग्राम सभा के अनुमोदन पर नियुक्त किया जायेगा।

(11) उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन हेतु प्राधिकृत अधिकारी अपने कार्यालय में उचित मूल्य की दुकान का नाम, सरल क्रमांक, अभिकरण का नाम, जिसको आबंटित किया गया हो, पंजीयन क्रमांक, अभिकरण के अध्यक्ष एवं संचालक का नाम, विक्रेता का नाम एवं पता, उचित मूल्य की दुकानों के गोदाम एवं उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति (बयाना) राशि को दर्ज करने हेतु एक पंजी संधारित करेगा, जो आबंटन अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित होगा।

(12) उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन प्राप्त करने हेतु इच्छुक अभिकरण, परिशिष्ट–एक में आवेदन प्रस्तुत करेगा। दुकान आबंटन अधिकारी, परिशिष्ट –दो में, जैसा कि इस आदेश में संलग्न है, उचित मूल्य की दुकान के संचालन हेतु प्राधिकार पत्र जारी करेगा। अभिकरण, जिसे उचित मूल्य की दुकान आबंटित की जा चुकी है, इसमें यथा उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करने हेतु बाध्यकर होगा। विद्यमान उचित मूल्य की दुकानों को प्राधिकार पत्र जारी करने की प्रक्रिया, इस नियंत्रण आदेश के जारी करने के तीन माह के भीतर पूर्ण की जायेगी।

(13) उचित मूल्य की दुकान अभिकरण द्वारा प्रतिभूति राशि के रूप में रूपये 5000/– की राशि जमा की जायेगी।

(14) उचित मूल्य की दुकान के आबंटन के पश्चात्, जिला खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, विभागीय वेबसाईट में उचित मूल्य की दुकान का डेटाबेस दर्ज

करेगा और वह नये उचित मूल्य की दुकान का आई डी क्रमांक जारी करेगा एवं संबंधित उचित मूल्य की दुकान से संलग्न राशन कार्ड प्राप्त करेगा।

(15) उचित मूल्य की दुकान हेतु प्राधिकार पत्र में की गई कोई प्रविष्टि, आबंटन अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना परिवर्तित नहीं होगी। उचित मूल्य की दुकान के स्वामी से परिवर्तन हेतु आवेदन की प्राप्ति पर, आबंटन अधिकारी आवश्यक सत्यापन करेगा तथा उसके सही पाये जाने पर, उचित मूल्य की दुकान के रजिस्टर तथा अनुबंध में परिवर्तन करेगा।

(16) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी, अनुबंध में दी गई सभी शर्तों का अनुपालन करेगा तथा इनका उल्लंघन नहीं करेगा।

(17) प्राधिकार पत्र के निरस्तीकरण या निलंबन की दशा में, आबंटन अधिकारी द्वारा उचित मूल्य की दुकान से संलग्न राशन कार्ड को उसके निकटस्थ उचित मूल्य की दुकान से जोड़ दिया जायेगा। आबंटन अधिकारी, विभागीय वेबसाईट में भी आबंटन, निलंबन, संलग्नीकरण एवं निरस्तीकरण संबंधी कार्यवाही भी प्रदर्शित करेगा।

(18) यदि उचित मूल्य की दुकान, महिला स्व–सहायता समूहों को आबंटित किया जाता है तो उचित मूल्य की दुकान से संबंधित सभी कार्य, खाद्यान्न की प्राप्ति, उचित मूल्य की दुकान में उपभोक्ताओं को वितरण, समूह की महिला सदस्यों द्वारा स्वयं ही की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में, पुरूषों से उक्त कार्य नहीं कराया जायेगा।

10. **अनुबंध पत्र का निष्पादन और प्रतिभूति का निक्षेप.**– उचित मूल्य की दुकानें आबंटित होने के पश्चात्, दुकानदार राज्य सरकार के पक्ष में विहित प्रारूप में एक अनुबंध पत्र निष्पादित करेगा तथा प्रतिभूति राशि जमा करेगा। अनुबंध पत्र निष्पादित करने, प्रतिभूति राशि जमा करने एवं उचित मूल्य की दुकान आई डी जारी होने के पश्चात् ही संबंधित अभिकरणों को खाद्यान्न आबंटन एवं वितरण संबंधी कार्य सौंपा जा सकेगा।

11. **उचित मूल्य के दुकानदार के उत्तरदायित्व.**– (1) उचित मूल्य का दुकानदार, आवश्यक वस्तुएं उन अभिकरणों से प्राप्त करेगा, जो राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किये गये हों।

(2) वितरण प्राप्त करने के पश्चात्, दुकानदार का यह दायित्व होगा कि वह राज्य शासन द्वारा विहित समय–सीमा के पूर्व उचित मूल्य की दुकान में आवश्यक वस्तुओं का पूर्ण रूप से आबंटन उपलब्ध कराये।

(3) राशन कार्ड में सभी आवश्यक प्रविष्टियां करने का उत्तरदायित्व, उचित मूल्य के दुकानदार का होगा।

(4) आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करने के पश्चात्, उचित मूल्य का दुकानदार आवश्यक वस्तुओं का विवरण, संबंधित ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय नगरीय निकाय एवं सतर्कता समिति को लिखित में देगा।

(5) उचित मूल्य का दुकानदार, आवश्यक वस्तुओं का विक्रय ऐसी मात्रा तथा ऐसे मूल्य पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये, उन उपभोक्ताओं को करेगा जिनका राशन कार्ड का पंजीयन उनकी दुकान में किया गया है। राशन कार्ड के बिना उचित मूल्य के दुकानदार द्वारा किन्हीं आवश्यक वस्तुओं का विक्रय नहीं किया जायेगा।

(6) उचित मूल्य का दुकानदार, आवश्यक वस्तुओं का विक्रय राशन कार्डधारक अथवा ऐसे किसी अन्य सदस्य को करेगा जिसका नाम राशन कार्ड में है।

(7) उचित मूल्य के दुकानदारों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट कमीशन देय होंगे।

(8) उचित मूल्य के दुकानदारों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे उपभोक्ताओं को प्रदाय किये जाने वाले खाद्यान्नों के नमूनों को उचित मूल्य की दुकान में प्रदर्शित करें।

(9) सामान्यतः, प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में राशन सामग्रियों की प्राप्ति, विक्रय एवं शेष स्टॉक के संबंध में योजनावार घोषणा पत्र, विहित प्रारूप में संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) सामान्यतः प्रत्येक माह के 10 तारीख तक आगामी माह की राशन सामग्री के उठाव हेतु विगत माह के राशन सामग्री के वितरण के अतिशेष स्टॉक से संबंधित घोषणा–पत्र एवं डिमांड ड्राफ्ट अथवा राशि, संबंधित आपूर्ति केन्द्र में जमा कराई जायेगी।

(11) उचित मूल्य का दुकानदार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य शासन, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग या कलेक्टर द्वारा समय–समय पर जारी सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा।

12. **उचित मूल्य की दुकान का आकार एवं उनके खुलने और बंद होने का समय आदि.**– (1) उचित मूल्य की दुकान का न्यूनतम आकार इतना होना चाहिये कि उसके संलग्न राशनकार्डो के राशन सामग्री के मासिक आबंटन का भण्डारण एवं उनकी पात्रतानसार वितरण सरलता से किया जा सके।

(2) उचित मूल्य की दुकान के सामने पर्याप्त जगह होनी चाहिये ताकि महिला एवं पुरूष खरीददारों की अलग–अलग कतार बनाने की व्यवस्था की जा सकेगी।

(3) उचित मूल्य की दुकान के खुलने तथा बंद करने का समय कलेक्टर द्वारा निर्णय किया जायेगा। उचित मूल्य की दुकान, कार्य दिवस में कम से कम 8 घंटे के लिये खुली रहेगी। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए, सुबह और शाम को निर्धारित समय में दुकान खोली जा सकेगी।

13. **उचित मूल्य की दुकान में रखे जाने वाले रजिस्टर तथा उनका निरीक्षण.**– (1) उचित मूल्य का दुकानदार, ऐसे समस्त रजिस्टरों का संधारण करेगा जो संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विहित किये गये हो।

(2) उचित मूल्य का दुकानदार, निम्नलिखित अधिकारियों के निरीक्षण के लिये समस्त रजिस्टर उपलब्ध करायेगा,–

(क) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी जो खाद्य निरीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो;

(ख) राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी जो नायब तहसीलदार की श्रेणी से निम्न का न हो;

(ग) सहकारिता विभाग के अधिकारी जो सहकारिता निरीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो; और

(घ) गृह विभाग के अधिकारी जो उप–निरीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो,

तथा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को भी समस्त जानकारी उपलब्ध करायेगा।

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 22) के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने की दशा में उचित मूल्य का दुकानदार जानकारी एवं अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध करायेगा। उचित मूल्य के दुकानदार द्वारा संधारित की गई दस्तावेजों की प्रतियों हेतु मांग की दशा में, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा विहित शुल्क जमा करने पर उपलब्ध कराई जायेगी।

14. **उचित मूल्य की दुकान पर बोर्ड आदि का प्रदर्शन.–** (1) उचित मूल्य की दुकानों पर हिन्दी भाषा में लिखित एक सूचना पटल लगाया जायेगा। सूचना पटल पर परिशिष्ट–तीन में दिये गये विवरण प्रदर्शित किये जायेंगे।

(2) उचित मूल्य का दुकानदार, दैनिक सूचना जैसे– दुकान से संलग्न योजनावार राशन कार्ड धारकों की सूची, राशन कार्ड धारकों को आवश्यक सामग्रियों की पात्रता, मूल्य सूची, माह के दौरान प्राप्त आवश्यक वस्तुओं की स्टॉक सूची, दुकान में प्राप्त आवश्यक सामग्रियों के नमूने, राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर का

निःशुल्क टोल फ्री नंबर, निगरानी समिति के सदस्यों के नाम एवं मोबाईल नंबर, सूचना के अधिकार से संबंधित प्रावधान, आदि उचित मूल्य के दुकान पर प्रदर्शित करेगा।

15. **निर्देशों का अनुपालन.**— उचित मूल्य का दुकानदार, राज्य सरकार, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग या कलेक्टर द्वारा समय—समय पर, जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।

16. **शास्ति.**— (1) यदि दुकानदार अनुबंधपत्र के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह उचित मूल्य की दुकान के आबंटन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आबंटन निलंबित अथवा रद्‌द किये जाने हेतु दायी (जवाबदेह) होगा। ऐसे प्रकरणों के निराकरण हेतु समय—सीमा तीन माह से अधिक नहीं होगी।

(2) दुकान के निरीक्षण के दौरान, यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दुकानदार द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा की गई राशि राज्य सरकार के पक्ष में पूर्णतः अथवा अंशतः समपहृत की जायेगी।

(3) उचित मूल्य की दुकान का अधिकार पत्र रद्‌द किये जाने या उनकी प्रतिभूति पूर्णतः अथवा अंशतः समपहृत किये जाने के पूर्व, खाद्य नियंत्रक या जिले का खाद्य अधिकारी अथवा अनुविभाग का अनुविभागीय अधिकारी, उचित मूल्य के दुकानदार को कारण बताओं नोटिस जारी करेगा और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कारण बताओं नोटिस जारी होने के एक माह की कालावधि के भीतर निर्णय करेगा।

(4) उचित मूल्य की दुकान एवं सार्वजानिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति एवं वितरण में संलग्न अन्य अभिकरणों का निरीक्षण, इस आदेश के नियम 13 के उप—नियम (2) में उल्लेखित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। यदि सहकारी समितियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों के

विरूद्ध अनियमिततायें पायी जाती है तो निरीक्षण अधिकारी उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियों को संसूचित करेगा जो अपना प्रतिवेदन पन्द्रह दिवस के भीतर उचित मूल्य के दुकान के आबंटन हेतु पदाभिहित अधिकारी को प्रेषित करेंगे। यदि उक्त उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियों की ओर से 15 दिन के भीतर कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियों की सहमति है तथा प्रस्तावित कार्यवाही पूर्ण की जा सकेगी।

(5) कोई व्यक्ति, संस्था या समूह जो इस आदेश के किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 7 के अधीन दण्डित किये जाने हेतु दायी होगा तथा ऐसे मामलों में कार्यवाही, मात्र उचित मूल्य की दुकान के सेल्समेन तक सीमित नहीं रहेगा किन्तु सोसायटियों तथा अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी अथवा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव तक भी विस्तावित होगा।

(6) यदि प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि कोई व्यक्ति, प्रतिनिधि/"बेनामी" के रूप में, दुकानदार अथवा स्व–सहायता समूहों के वास्तविक स्वामी, प्राथमिक सहकारी साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, अन्य साख समितियों या ग्राम पंचायत के नाम पर, दुकान संचालित कर रहा है तो वह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) के प्रावधानों के अधीन अभियोजन के लिये दायी होगा।

(7) यदि प्राधिकृत अभिकरण/उचित मूल्य का दुकानदार, किसी आवश्यक सामग्रियों की किसी अपात्र व्यक्ति को प्रदाय अथवा वितरण करता है तो उसका मूल्य, ऐसे कार्य करने हेतु दोषी पाये गये व्यक्ति से, प्रचलित बाजार मूल्य या आर्थिक लागत, जो भी अधिक हो, भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

(8) (1) ऐसे मामले में कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम, 2016 के अधीन आवेदन पत्र अथवा घोषणा पत्र में कोई झूठी जानकारी देता है, अथवा जानबूझकर कोई जानकारी छिपाता है अथवा यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के अंतर्गत आवेदन पत्र, घोषणा पत्र में किसी झूठी जानकारी/प्रमाण पत्रो के आधार पर फर्जी अथवा अपात्र राशन कार्ड जारी करता है तो ऐसा व्यक्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 9 के प्रावधानों के अधीन तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 193, 463, 468 एवं तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अन्य प्रावधानों के अधीन दंडित किये जाने हेतु दायी होगा और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अभियोजन संस्थित किया जायेगा।

(2) ऐसे मामले में राशन कार्ड जारी करने हेतु नियम में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है अथवा अपात्र व्यक्ति को राशन कार्ड जारी किया जाता है तो आवेदनकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही किया जायेगा और कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी तथा अधिकारी एवं कर्मचारी जो आवेदन पत्रों तथा दस्तावेजों के सत्यापन हेतु दोषी पाये गये हैं, के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

17. **खाद्य सुरक्षा निधि.—** (1) राज्य सरकार एक खाद्य सुरक्षा निधि का सृजन करेगी। इस निधि का प्राथमिक प्रयोजन कमजोर जनसंख्या के लिये खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ कराना है तथा निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) क्षेत्र जहाँ कुपोषण स्तर बहुत ऊँचा है एवं अकाल की संभावना विद्यमान है, वहाँ की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु;

(ख) सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, जहाँ सामान्य आपूर्ति व्यवस्था द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवृत्त अन्य आवश्यक वस्तुओं तथा खाद्यानों को आवश्यकतानुसार समय पर पहुंचाया जाना संभव न हो, नवीन आपूर्ति तंत्र के प्रयोग हेतु;

(ग) ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में निवासरत दूरस्थ अति निर्धन जनसंख्या, सीमान्त एवं कमजोर (भेद्य) लोग जैसे नगरीय आवासहीन, निःशक्त, बेदखल अथवा बेदखल किये जा रहे जनजातीय व्यक्तियों तक पहुंचने हेतु नवीन प्रयास के प्रयोग हेतु;

(घ) राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु;

(ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु;

(च) खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु;

(छ) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करने हेतु;

(ज) राज्य की खाद्य सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को सुदृढ़ बनाने के लिये ऐसी अन्य कार्यवाही करना, जैसा कि समय–समय पर अपेक्षित किया जाये।

(2) खाद्य सुरक्षा निधि का प्रबंधन, एक समिति द्वारा किया जायेगा, जिसकी अध्यक्षता सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा की जायेगी।

18. **अपील.–** (1) उचित मूल्य की दुकान का आबंटन, राशन कार्ड जारी करने या नवीनीकरण करने या राशन कार्ड को रद्द करने का प्रत्याख्यान करते हुए, पदाभिहित अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस की कालावधि के भीतर कलेक्टर/अपर कलेक्टर को अपील कर सकेगा।

(2) कलेक्टर के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस की कालावधि के भीतर राज्य शासन को अपील कर सकेगा तथा यह निर्णय अंतिम होगा।

(3) ऐसी किसी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(4) अपील के लंबित रहने के दौरान, अपील प्राधिकारी यह निर्देश दे सकेगा कि अपीलाधीन आदेश, उस अपील के निपटारे तक अथवा उप–नियम (3) के अंतर्गत अन्य पार्टी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने तक, जो भी पूर्व हो, ऐसी कालावधि तक, जैसा कि प्राधिकारी आवश्यक समझे, प्रभावी नहीं होगा।

19. **छूट.**– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अनुसरण में, राज्य शासन विशेष आदेश द्वारा, आदेश के प्रावधानों के समस्त या किसी भाग से छूट दे सकेगा तथा किसी भी समय ऐसी छूट को निलंबित या रद्द कर सकेगा।

20. **आदेश के अधीन किये गये कार्य का संरक्षण.**– किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे किसी कार्य, जो इस आदेश के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित हो, के लिये कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

21. **निर्देशों के अनुपालन हेतु आदेश जारी करने की शक्ति.**– इस आदेश के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन हेतु तथा पारदर्शिता, जवाबदेही एवं राशन सामग्रियों के आबंटन, उसके भंडारण एवं वितरण के कम्प्यूटरीकरण करने एवं नई परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु राज्य शासन अथवा संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, समय–समय पर, आवश्यक आदेश/निर्देश जारी कर सकेंगे।

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**– छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है:

परन्तु इस प्रकार निरसित आदेशों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इस आदेश के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

परिशिष्ट–एक

(खण्ड 9 (12) देखिये)

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान के आबंटन के लिये आवेदन–पत्र का प्ररूप

अध्यक्ष / सरपंच का पासपोर्ट साईज फोटो	प्रबंधक / सचिव का पासपोर्ट साईज फोटो

1. ग्राम पंचायत / वार्ड का नाम, जहाँ उचित मूल्य की दुकान के आबंटन के लिये आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है– ....
2. विकासखण्ड का नाम– ....
3. जिला का नाम– ....
4. आवेदक अभिकरण का नाम / समूह– ....
5. पंजीयन क्रमांक / आवेदक अभिकरण की तारीख / समूह– ....
   (ग्राम पंचायत को छोड़कर अन्य अभिकरणों द्वारा पंजीयन प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये)
6. आवेदक अभिकरण / समूह का कार्य क्षेत्र– ....
7. अभिकरण / समूह का कार्यालय पता– ....
8. अभिकरण / समूह का बैंक खाता क्रमांक– ....
9. अभिकरण / समूह की बचत राशि– ....
   (बैंक पासबुक की छाया प्रति संलग्न की जाये)
10. आवेदक अभिकरण / समूह के अध्यक्ष / सरपंच का नाम– ....
    पिता / पति का नाम– ....
    निवास का पता– ....
    दूरभाष / मोबाईल नम्बर– ....
    आधार नम्बर – ....
11. आवेदक अभिकरण के प्रबंधक / सचिव का नाम– ....
    पिता / पति का नाम– ....
    निवास का पता– ....
    दूरभाष / मोबाईल नम्बर– ....
    आधार नम्बर – ....
12. आवेदक अभिकरण द्वारा विगत 03 वर्ष में किये गये कार्यों का विवरण– ....
    (ग्राम पंचायत को छोड़कर अन्य अभिकरणों द्वारा कार्यों का विवरण संलग्न किया जाये)
13. आवेदक अभिकरण की वार्षिक आय– ....
14. आवेदक अभिकरण द्वारा चालू किये गये व्यापार की प्रकृति एवं ब्यौरे– ....
15. उचित मूल्य की दुकान संचालन हेतु गोदाम का विवरण– ....
16. आवेदक अभिकरण के अध्यक्ष / प्रबंधक के विरूद्ध कोई कार्यवाही पंजीकृत / लंबित है, यदि हाँ, तो ब्यौरे दें (शपथ पत्र संलग्न किया जाये)– ....

आवेदक अभिकरण के अध्यक्ष / सरपंच के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा	आवेदक अभिकरण के प्रबंधक / सचिव के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

परिशिष्ट—दो

(खण्ड 9 (12) देखिये)

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान का आबंटन प्राधिकार पत्र

संस्था के अध्यक्ष का पासपोर्ट आकार का फोटो

प्राधिकार—पत्र कमांक .... प्रतिभूति राशि के ब्यौरे ....ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम . ...विकासखण्ड/स्थानीय नगरीय निकाय का नाम.. ....जिला...उचित मूल्य की दुकान आई.डी. कमांक .... उचित मूल्य की दुकान के अभिकरण का नाम................................. अभिकरण के अध्यक्ष/संचालक का नाम श्री/श्रीमती/कुमारी ....को छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित शर्तों और निर्बंधनों के अनुसार उचित मूल्य की दुकान के संचालन हेतु एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है, अर्थात्:—

1. सहकारी समिति/संस्था उचित मूल्य की दुकान का संचालन नहीं करेगा तथा आवश्यक वस्तुओं का भण्डारण, निम्नलिखित स्थल के सिवाय अन्यत्र नहीं करेगा:—

   मकान कमांक .... वार्ड/नाम .... स्थान ....

   पुलिस थाना .... तहसील .... जिला ....

   टीप — यदि दुकान का संचालन, उपरोक्त स्थान से भिन्न स्थान पर किया जाता है, तो संस्था इस संबंध में लिखित में जानकारी उचित मूल्य की दुकान के आबंटन प्राधिकारी को देगा तथा अन्य स्थान पर भण्डारण हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्, प्राधिकार—पत्र में तद्नुसार संशोधन करायेगा।

2. उचित मूल्य की दुकान के बाहर सहजदृश्य स्थान पर 150 सेमी. X 75 सेमी. आकार के पीले रंग के बोर्ड पर हिन्दी भाषा में काले अक्षरों में दुकान का विवरण नियंत्रण आदेश के खण्ड 14 के उप—खण्ड (1) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रदर्शित किया जायेगा।

3. उचित मूल्य की दुकान में सहजदृश्य स्थान पर 150 सेमी. X 75 सेमी. आकार के काले बोर्ड पर सफेद रंग से योजनावार राशनकार्ड संख्या, सदस्य संख्या, पात्रता, उपभोक्ता मूल्य, आवश्यक वस्तुओं का प्रारंभिक भण्डारण, प्राप्त तथा वितरित मात्रा, इत्यादि प्रदर्शित किये जायेंगे। यह जानकारी प्रतिदिन अद्यतन की जाएगी।